उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद,
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: 339 -विनियम-23/राविप-95-9विनि/89 दिनांक: 28.10.95

विज्ञप्ति

विविध

इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट 1948 की धारा 79(सी) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद एतद्द्वारा अपने अधीन कार्मिक अधिकारियों की भर्ती व सेवाशर्तों को विनियमित करने हेतु निम्न विनियम बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद कार्मिक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1995

भाग-1, सामान्य

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ -

(क) ये विनियम उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, कार्मिक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1995 कहलायेंगे।

(ख) ये तत्काल प्रवृत्त होंगे।

2. प्रास्थिति

(1) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद कार्मिक (अधिकारी) सेवा विनियमों में निम्न श्रेणी के पद सम्मिलित हैं,

(I) कार्मिक अधिकारी पदनाम में, इन विनियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व औद्योगिक सम्बन्ध अधिकारी, पदनाम भी सम्मिलित है।

(II) वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी पदनाम में, इन विनियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व प्रचलित वरिष्ठ औद्योगिक सम्बन्ध अधिकारी पदनाम भी सम्मिलित है।

(III) "मुख्य कार्मिक अधिकारी" पदनाम में, इन विनियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व प्रचलित "वरिष्ठ औद्योगिक ~~सम्बन्ध~~ अधिकारी" पदनाम भी सम्मिलित है।

(IV) निदेशक (कार्मिक)

2. परिषद किसी पद विशेष, या पदों की श्रेणियों का वर्गीकरण कभी भी परिवर्तित कर सकता है।

3. परिभाषायें :-

जब तक, संदर्भ अथवा विषय से अन्यथा न हो, इन विनियमों में :-

(1) "एक्ट" का तात्पर्य विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 (एक्ट संख्या 54, 1948) से है।

(2) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य विनियम 17 के अधीन सेवा की विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति करने हेतु सक्षम अधिकारी।

(3) "अनुमोदित सेवा" का तात्पर्य परिषद के अधीन नियमित अधिष्ठान में की गई ऐसी सेवा से है जो इन विनियमों के परिषद के किसी अन्य विनियम के अधीन या इन विनियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व लागू किन्हीं आदेशों के अधीन किये गये चयन के आधार पर की गई हो।

(4) "परिषद" का तात्पर्य एक्ट की धारा 5 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद से है।

(5) "अध्यक्ष" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के अध्यक्ष से है।

(6) "मुख्य अभियन्ता" का तात्पर्य मुख्य अभियंता (जल विद्युत) से है, जब तक कि अध्यक्ष इन विनियमों के प्रयोजनार्थ किसी अन्य मुख्य अभियन्ता को इस हेतु कार्य करने के लिये प्राधिकृत न कर दे।

(7) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग II के अन्तर्गत भारतीय नागरिक हो या समझा जाये।

(8) "संविधान" का तात्पर्य भारत के संविधान से है।

(9) "विभागीय कर्मचारी" का तात्पर्य ऐसे कर्मचारी से है जो परिषद के अधीन कार्यरत हो तथा उसकी सेवा अनुमोदित हो।

(10) "सीधी भर्ती" का तात्पर्य सीधी भर्ती से है जो इस विनियमों के भाग V में निर्धारित विधि अनुसार की जायेगी।

(11) "सरकार" या राज्य सरकार का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार, से है।

(12) "सदस्य प्रशासन" का तात्पर्य परिषद के सदस्य से है जिसकी नियुक्ति एक्ट के खण्ड 5 के उपखण्ड (4) के अनुच्छेद (अ) के अधीन हुयी हो।

(13) "परिषद के सदस्य" का तात्पर्य परिषद के सदस्य से है जिसकी नियुक्ति एक्ट के खण्ड 5 के उपखण्ड (4) के अधीन हुयी हो।

(14) "सेवा के सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी श्रेणी के पद पर अस्थायी या मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे व्यक्ति से है जो या तो इन विनियमों के उपबन्धों के अधीन या इन विनियमों के प्रभावी होने के पूर्व प्रवृत्त किन्हीं आदेशों या विनियमों के अधीन नियुक्त हुआ हो।।

(15) "सचिव" का तात्पर्य परिषद के सचिव से है जिसमें सदस्य-सचिव भी सम्मिलित है।

(16) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद कार्मिक (अधिकारी) सेवा से है।

(17) "भर्ती के वर्ष" का तात्पर्य किसी केलेन्डर वर्ष के 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक बारह मास की अवधि से है।

भाग-II

सँवर्ग

4- सेवा के पदों की संख्या :-

सेवा के पदों की तथा उसके अन्तर्गत प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिषद द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये ।

प्रतिबन्ध है कि :-

(क) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा के सँवर्ग में किसी व्यक्ति को बिना किसी क्षतिपूर्ति का अधिकार दिये हुये, कोई पद बिना भरे हुये छोड़ा जा सकता है या परिषद उसे आस्थागित रख सकता है, तथा

(ख) परिषद समय समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे ।

भाग-III - भर्ती

5- भर्ती के स्रोत

सेवा के सँवर्ग में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्न वर्णित स्रोतों से की जायेगी :-

(क) कार्मिक अधिकारी

(I) सीधी भर्ती द्वारा प्रतियोगितात्मक परीक्षा व साक्षात्कार के आधार पर

(अ) खुले बाजार से - - - - - - - - - - $66\frac{2}{3}$ %

(ब) विभागीय कर्मचारियों में से, निम्न प्रकार :-

(I) कल्याण अधिकारियों से - - - - - - - 15 प्रतिशत

(II) लिपिक सेवा से - - - - - - - - - - $18\frac{1}{3}$ प्रतिशत

विभागीय कर्मचारियों को, खुले बाजार के अभ्यर्थियों के समान ही परीक्षा व साक्षात्कार में सम्मिलित होना होगा ।

प्रतिबन्ध यह होगा कि केवल वे ही विभागीय अभ्यर्थी औद्योगिक विधि सहायकों को सम्मिलित करते हुये, जिनका वेतनमान उनके मौलिक पद पर रू0 1650-2690 (जो समय-समय पर संशोधित है), या उससे अधिक है वे श्रम व औद्योगिक विवाद सम्बन्धी मामलों पर कार्य अनुभव व वांछित अर्हता जो कार्मिक अधिकारी पद पर सीधी भर्ती के लिये निर्धारित है रखते हों, तो वे इसके पात्र होंगे ।

(ख) वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

ऐसे कार्मिक अधिकारियों में से जिन्होंने उस पद पर कम से कम 7 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा

भाग-II

संवर्ग

4- सेवा के पदों की संख्या :-

सेवा के पदों की तथा उसके अन्तर्गत प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिषद द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये।

प्रतिबन्ध है कि :-

(क) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा के संवर्ग में किसी व्यक्ति को बिना किसी क्षतिपूर्ति का अधिकार दिये हुये, कोई पद बिना भरे हुये छोड़ा जा सकता है या परिषद उसे आस्थागित रख सकता है, तथा

(ख) परिषद समय समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे।

भाग-III - भर्ती

5- भर्ती के स्रोत

सेवा के संवर्ग में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्न वर्णित स्रोतों से की जायेगी :-

(क) कार्मिक अधिकारी

(I) सीधी भर्ती द्वारा प्रतियोगितात्मक परीक्षा व साक्षात्कार के आधार पर

(अ) खुले बाजार से - - - - - - - - - - $66\frac{2}{3}$ %

(ब) विभागीय कर्मचारियों में से, निम्न प्रकार :-

(I) कल्याण अधिकारियों से - - - - - - - 15 प्रतिशत

(II) लिपिक सेवा से - - - - - - - - - - - $18\frac{1}{3}$ प्रतिशत

विभागीय कर्मचारियों को, खुले बाजार के अभ्यर्थियों के समान ही परीक्षा व साक्षात्कार में सम्मिलित होना होगा।

प्रतिबन्ध यह होगा कि केवल वे ही विभागीय अभ्यर्थी औद्योगिक विधि सहायकों को सम्मिलित करते हुये, जिनका वेतनमान उनके मौलिक पद पर रू0 1650-2690 (जो समय-समय पर संशोधित है।), या उससे अधिक है वे श्रम व औद्योगिक विवाद सम्बन्धी मामलों पर कार्य अनुभव व वांछित अर्हता जो कार्मिक अधिकारी पद पर सीधी भर्ती के लिये निर्धारित है रखते हों, तो वे इसके पात्र होंगे।

(ख) वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

ऐसे कार्मिक अधिकारियों में से जिन्होंने उस पद पर कम से कम 7 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा

अफ्रीकी देश कीनिया, युगांडा और संयुक्त गणतंत्र तन्जानिया ।जो पहले टन्गा नयीका और जन्जीवार थे। से स्थायी रूप से भारत में आवास की अभिलाषा से आया हो ।

प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त वर्ग।ग। या ।घ। में आने वाला व्यक्ति ऐसा होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाणपत्र निर्गत किया जा चुका हो,

प्रतिबन्ध यह भी है कि वर्ग"ग" में आने वाले व्यक्ति को पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना होगा ।

अग्रिम प्रतिबन्ध यह भी है कि उपरोक्त वर्ग"घ" में आने वाले को पात्रता प्रमाण की अवधि पश्चात सेवा में नहीं रक्खा जायेगा, यदि उसने भारतीय नागरिकता न प्राप्त कर ली हो ।

टिप्पणी :- कोई अभ्यर्थी जिसके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक है, परन्तु ऐसा प्रमाण पत्र उसे न तो निर्गत किया है और न ही मना कर दिया गया है, तो उसे भर्ती करने वाले प्राधिकारी द्वारा साक्षात्कार में बैठने की अनुमति दी जा सकती है तथा उसे अनन्तिम रूप से नियुक्ति भी इस प्रतिबन्ध के साथ दी जा सकती है कि वह ऐसा प्रमाण पत्र या तो प्राप्त कर लेगा या उसे अपने पक्ष में निर्गत करा लेगा ।

9. आयु

।1। चयन के वर्ष में जनवरी के प्रथम दिवस पर सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से कम तथा 32 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

प्रतिबन्ध यह है कि निदेशक ।कार्मिक। के पद पर विनियम 5 ।घ। के प्रतिबन्ध के अधीन सीधी भर्ती के अभ्यर्थी के लिये आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

।2। राज्य सरकार के छंटनी किये गये कर्मचारियों के लिये अधिकतम आयु की सीमा में छूट तीन वर्ष तथा परिषदीय कर्मचारियों एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में छूट पांच वर्ष होगी ।

।3। यदि कोई अभ्यर्थी इन विनियमों के अन्तर्गत अपनी आयु एवं अन्य अर्हताओं के आधार पर किसी ऐसे वर्ष में जिसमें चयन आयोजित न किया गया हो, चयन के लिये पात्र रहा था, तो वह अपनी आयु के संदर्भ में ठीक उसके बाद होने वाले चयन में भाग लेने का अधिकारी समझा जायेगा।

।4। किसी भी अभ्यर्थी को चयन में भाग लेने के लिये चार अवसरों से अधिक की स्वीकृति नहीं दी जायेगी, तथा

(5) उचित व्यवहार या परिषद् हित में यदि अध्यक्ष आवश्यक समझें तो किसी भी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों की श्रेणी के पक्ष में आयु सीमा से छूट प्रदान कर सकते हैं परन्तु जहाँ भी ऐसा करना आवश्यक समझा जाये तो इस आशय का एक उपबन्ध विज्ञापन में दिया जायेगा ।

शैक्षिक अर्हतायें :-

(1) सेवा में सीधी भर्ती द्वारा कार्मिक अधिकारी के पद पर नियुक्त व्यक्ति में निम्न अर्हतायें व अनुभव होने चाहिये :-

(क) आवश्यक अर्हतायें :-

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उसके समतुल्य अर्हता, तथा

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से औद्योगिक सम्बन्ध एवं कार्मिक प्रबन्ध या सामाजिक कार्य में परास्नातक डिग्री या डिप्लोमा या व्यावसायिक प्रबन्ध में (कार्मिक प्रबन्ध में विशिष्टता) परस्नातक डिग्री व

(ख) अनुभव :- श्रम औद्योगिक सम्बन्ध व श्रम कल्याण इत्यादि के मामलों में किसी विद्युत परिषद, विद्युत उपक्रम या किसी बड़े औद्योगिक अधिष्ठान में कमसे कम तीन वर्षों का स्वतन्त्र रूप से कार्य करने का व्यावहारिक अनुभव साथ ही श्रम न्यायालय/ न्यायाधिकरण के समक्ष विवाद के मामलों को करने का अनुभव होना चाहिये ।

(ग) वरीयमान अर्हतायें :-

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि की उपाधि ।

(2) निदेशक (कार्मिक) के पद के लिये सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह परिषद के अधीन सेवा करने में सभी प्रकार से उपयुक्त हों । उसे निम्न द्वारा दिया गया सचरित्रता प्रमाणपत्र देय होगा।

(क) अभ्यर्थी द्वारा अन्तिम रूप से शिक्षा प्राप्त किये गये विश्वविद्यालय, विद्यालय या संस्था के प्राक्टर, इनमें जो भी दशा हों, द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र

(ख) दो उत्तरदायी व्यक्ति (जो सम्बन्धी न हों) जो अभ्यर्थी को भली - भाँति जानते हों तथा उसके व्यक्तिगत जीवन से भी परिचित हों द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र

(2) नियुक्ति प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस सम्बन्ध में अपनी सन्तुष्टि कर ले ।

10- वैवाहिक स्थिति :-

कोई भी पुरूष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नी हो या कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसके पहले से ही पत्नी हो, सेवा में नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे ।

पर्याप्त कारण हैं तो किसी व्यक्ति को इस विनियम के उपबन्धों से छूट प्रदान कर सकते हैं ।

13- शारीरिक स्वस्थता :

कोई भी व्यक्ति सेवा में सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जा सकता है, जब तक यह सुनिश्चित न हो जाये कि वह मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ न हो तथा किसी भी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो जिसके कारण उस व्यक्ति के सेवा के सदस्य के रूप में दक्षतापूर्वक कार्य निष्पादन में बाधा उत्पन्न होती हो ।

भाग- V

सीधी भर्ती के लिये प्रक्रिया

14-(1) भर्ती के किसी वर्ष में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली कार्मिक अधिकारियों की रिक्तियों तथा विनियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों इत्यादि के लिये आरक्षित रिक्तियों की संख्या देश व राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापित की जायेगी तथा पात्र अभ्यर्थियों से प्रार्थना पत्र विज्ञापन में दी गई अवधि के भीतर आमन्त्रित किये जायेंगे ।

(2) प्रार्थनापत्र सीधे सचिव को प्रस्तुत किये जायेंगे, जो निर्धारित प्रपत्र पर होंगे तथा जिन्हें परिषद के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है ।

(3) सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी परिषद को निम्न शुल्क देगा :-

(I) आवेदन पत्र का मुल्य पांच रूपया - जो आवेदन पत्र की मांग के साथ देना होगा ।

(II) आवेदन शुल्क सात रूपया- जो आवेदन के साथ देना होगा (अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों के लिये 2 रूपया)।

(III) परीक्षा/साक्षात्कार शुल्क 20/-रूपया आवेदन के साथ (रूपया सात/- अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिये)- या जो अध्यक्ष निर्धारित करें ।

टिप्पणी :- केवल धनादेश, जो सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के नाम देय होंगे स्वीकार किये जायेंगे ।

(4) भर्ती लिखित परीक्षा के तत्पश्चात साक्षात्कार के आधार पर की जायेगी।

(5) परीक्षा और साक्षात्कार के लिये समिति निम्न से गठित की जायेगी :-

(I) परिषद का सदस्य जो एक्ट के खण्ड 5(4)(क) के अधीन नियुक्त किया गया हो -----अध्यक्ष

(II) सचिव ---सदस्य

(III) निदेशक (कार्मिक) --- सदस्य

( ) श्रम एवं औद्योगिक प्रबंध के क्षेत्र से दो विशेषज्ञ जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या प्रबंधन के संस्थान से हों---सदस्य

6-(क) परीक्षा एवं साक्षात्कार का पाठ्यक्रम व अन्य विवरण प[illegible] निर्धारित किया जायेगा । प्रतिबन्ध यह होगा कि साक्षात्कार के कुल अंक, सम्पूर्ण परीक्षा अर्थात् लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंकों के योग का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

(ख) अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत औसत अंक प्राप्त करेंगे, वे ही साक्षात्कार के लिये बुलाये जायेंगे ।

(ग) प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों को उसके द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त किये गये अंकों से जोड़ दिया जायेगा, और इस उनके द्वारा प्राप्त अंकों का औसत अभ्यर्थी की श्रेष्ठता (मेरिट) निर्धारित करेगा ।

कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये तब तक पात्र नहीं समझा जायेगा जब तक कि उसने औसत 40 प्रतिशत औसत अंक न प्राप्त किये हों।

(घ) उपविनियम (ग) के अधीन निर्धारित की गयी श्रेष्ठता के आधार पर चयन किये गये अभ्यर्थियों से श्रेष्ठता के क्रम में सूचियां बनाकर उन्हें नियुक्ति अधिकारी के पास अनुमोदनार्थ भेज दिया जायेगा । अनुमोदन उपरान्त सूचियां एक वर्ष तक प्रभावी रहेंगी ।

15- विनियम 5 (घ) के प्रतिबन्ध के अन्तर्गत निदेशक (कार्मिक) के पद पर सीधी भर्ती केवल साक्षात्कार के माध्यम से की जायेगी । अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हेतु कमेटी निम्न से गठित की जायेगी :-

(I) अध्यक्ष, उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद ---- सभापति

(II) सचिव (ऊर्जा) उ0 प्र0 शासन या उसके द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का कोई अन्य अधिकारी--सदस्य

(III) सचिव (वित्त) उ0 प्र0 शासन या उसके द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का कोई अन्य अधिकारी ---- सदस्य

(IV) वरिष्ठतम् पूर्णकालिक परिषद का सदस्य (अभियन्त्रण) ---- सदस्य

(V) अध्यक्ष द्वारा नामित परिषद का कोई अन्य सदस्य-- सदस्य

(VI) औद्योगिक संबंध के क्षेत्र से दो विशेषज्ञ जो किसी ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालय या भारतीय प्रबन्ध संस्थान से हों ---सदस्य

उपरोक्त पदों के चयन हेतु बैठक में गणपूर्ति (कोरम) निम्न प्रकार होगी:-

(1) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद

(2) सचिव (ऊर्जा), उ0 प्र0 शासन या उसके द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का कोई अन्य अधिकारी ।

(3) सचिव (वित्त) उ0 प्र0 शासन या उसके द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का कोई अन्य अधिकारी

(4) परिषद का वरिष्ठतम पूर्णकालिक सदस्य (अभियंत्रण) ।

(5) अध्यक्ष द्वारा नामित परिषद का कोई अन्य सदस्य।

(ख) कमेटी पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करके उनकी उपयुक्तता, उनकी अर्हता, व्यक्तित्व, शारीरिक संरचना, शैक्षिक क्रिया-कलाप, अनुभव व पद पर उनकी उपयुक्तता के आधार पर निर्धारित करेगी। उपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के नाम वरीयता क्रम में व्यवस्थित करते हुये उसे नियुक्ति अधिकारी के पास अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जायेगा। अनुमोदन उपरान्त यह सूची एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

भाग -VI

16. पदोन्नति की प्रक्रिया :

(क) भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या:

नियुक्ति अधिकारी प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिये पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों व अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी, यदि कोई हों के लिये आरक्षित रिक्तियों की संख्या निर्धारित करेगा।

(ख) चयन का मापदण्ड :

निदेशक (कार्मिक) के पद पर पदोन्नति हेतु चयन श्रेष्ठता के आधार पर तथा समस्त प्रकार से उपयुक्तता के आधार पर किया जायेगा। मुख्य कार्मिक अधिकारी/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु चयन ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को छोड़ते हुए किया जायेगा।

(ग) चयन समिति :

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी के चयन हेतु समिति वही होगी जो कि विनियम 14(5) के अधीन गठित की गई है।
निदेशक (कार्मिक) व मुख्य कार्मिक अधिकारी पद के चयन के लिए समिति विनियम 15 के अनुसार होगी।

(घ) निदेशक (कार्मिक) एवं मुख्य कार्मिक अधिकारी के पदों पर पदोन्नति के लिये, प्रत्येक श्रेणी के पद पर पदोन्नति के पात्र अभ्यर्थियों की सूची पृथक पृथक उनकी परस्पर वरिष्ठता के आधार पर बनायी जायेगी तथा उनकी चरित्र पंजिकाओं व अन्य अभिलेखों के साथ चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। प्रत्येक श्रेणी के पद के लिये समिति उन अभ्यर्थियों जिन्हें वह सर्वाधिकउपयुक्त समझेगी का चयन करेगी तथा उनके नामों को पृथक सूचियों में वरीयता के क्रमानुसार व्यवस्थित करेगी। सूचियों में नामों की संख्या, भर्ती के वर्ष में उपलब्ध होने वाली अनुमानित रिक्तियों की संख्या में दोगुनी होगी, जिसे नियुक्ति अधिकारी के पास अनुमोदन हेतु भेज दिया जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी नियुक्ति करने के पहले निम्न संवर्ग में वरिष्ठता के क्रमानुसार सूची को पुनर्व्यवस्थित करेगें। ये सूचियां नियुक्ति अधिकारी द्वारा अनुमोदन किये जाने के दिनांक से एक वर्ष तक या अगला चयन, इसमें जो भी पहले होगा, तक प्रभावी रहेगी।

(ङ) मुख्य कार्मिक अधिकारी/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी पद के लिए चयन हेतु, वरिष्ठता के क्रम में पदोन्नति के लिये पात्र अभ्यर्थियों की सूची पृथक रूप

(घ) परिषद की निष्ठा व लगनपूर्वक सेवा करने का प्रमाणपत्र जैसा परिशिष्ट में दिया गया है ।

20- नियुक्तियाँ :-

(1) मौलिक, अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों के होने पर, सेवा में नियुक्तियां विनियम 13(घ) 14(ख) व 15(च) के अधीन क्रमशः बनायी गयी चयन सूचियों से की जायेगी ।

(2) ऐसी नियुक्तियां करने के लिये यदि सूचियों में कोई भी अनुमोदित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है और नियुक्ति करना आवश्यक व परिषद के हित में है तो एक ऐसे व्यक्ति को जो इन विनियमों के अधीन सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का पात्र है, को नियुक्ति प्रदान की जा सकती है परन्तु ऐसी नियुक्ति परिषद की विशेष अनुमति प्राप्त किये बिना अधिकतम् 6 मास से अधिक अवधि के लिये नहीं की जायेगी।

21- परिवीक्षा :-

(1) प्रत्येक व्यक्ति, सेवा के संवर्ग में किसी पद पर नियुक्त मौलिक रिक्ति के विरूद्ध नियुक्ति की दशा में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षा पर रहेगा ।

प्रतिबन्ध यह होगा कि नियुक्ति अधिकारी :-

(क) यथेष्ट रहने पर व्यक्तिगत मामलों में परिवीक्षा अवधि दो वर्ष से अनधिक समय तक के लिये बढ़ा सकता है। किसी भी ऐसी अवधि बढ़ाने में उस निश्चित तिथि का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा जिस तिथि तक अवधि बढ़ायी गयी है परन्तु परिवीक्षा की बढ़ी हुई अवधि के पश्चात सेवा में बने रहने का अर्थ जब तक इस संबंध में विशिष्ट आदेश न हो, स्थायीकरण नहीं माना जायेगा ।

(ख) सेवा के संवर्ग में या राज्य सरकार के अधीन समतुल्य कार्मिक सेवा के संवर्ग में किसी पद पर लगातार की गयी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में की गयी सेवा अवधि को परिवीक्षा के लिये गणना किये जाने की अनुमति दे सकता है ।

(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ी हुयी परिवीक्षा अवधि के मध्य या उसके अन्त में किसी समय यह बात जानकारी में आती है कि किसी अधिकारी ने अपने अवसरों का पर्याप्त लाभ नहीं उठाया है या अन्य प्रकार से संतोष प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे परिषद के अधीन उसके मूल पद पर, यदि कोई हो प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा या ऐसा पद न होने पर उसे सेवा से मुक्त कर दिया जायेगा ।

(3) कोई अभ्यर्थी, जिसकी सेवायें उपविनियम(2) के अधीन समाप्त कर दी गयी है किसी भी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा ।

से तैयार करके चयन समिति के समक्ष अभ्यर्थियों की चरित्र पंजिकाओं व अन्य अभिलेखों के साथ प्रस्तुत की जायेगी। समिति सूची में शीर्ष से अभ्यर्थियों के नामों पर विचार करेगी तथा उन लोगों का चयन करेगी जिन्हें वह पदोन्नति के योग्य समझती है तथा ऐसे लोगों के नामों को छोड़ देगी जिन्हें वह पदोन्नति के लिये अयोग्य समझती है। समिति चुने गये अभ्यर्थियों की एक सूची बनायेगी तथा निम्न पद पर वरिष्ठता के क्रम में व्यवस्थित करेगी। सूची में नामों की संख्या भर्ती के वर्ष में उपलब्ध होने वाली सम्भावित रिक्तियों की संख्या से थोड़ी अधिक होगी।

(च) चुने हुये अभ्यर्थियों की सूचियाँ जो उपविनियम (घ) व (ड.) के अन्तर्गत बनायी गयी हों, नियुक्ति अधिकारी के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायेगी। ....?

17. <u>चयन सूची से नामों का हटाया जाना:</u>

नियुक्ति अधिकारी किसी भी व्यक्ति का नाम नियुक्ति या पदोन्नति किये जाने के पूर्व कभी भी चयन सूची से हटा सकता है, यदि वह सन्तुष्ट हो कि अभ्यर्थी ने उस पद के लिये अपने को अयोग्य सिद्ध कर दिया हो। इस प्रकार नाम के हटाये जाने के कारणों का लिखित उल्लेख करना होगा।

भाग - VII

नियुक्ति, परिवीक्षा या स्थायीकरण

18. <u>नियुक्ति अधिकारीगण</u> :

विभिन्न श्रेणी के पदों के लिये निम्न नियुक्ति अधिकारी होंगे :-

			नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(1) कार्मिक अधिकारी (2) वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (3) मुख्य कार्मिक अधिकारी	-	अध्यक्ष
	(4) निदेशक कार्मिक	-	परिषद

19. <u>प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतीकरण</u> :

सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनुमोदन होने के पूर्व उसे निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे :-

(1) विनियम 10 व 12 में वर्णित प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करेगा।

यह घोषणा प्रस्तुत करना होगा कि :-

(क) परिषद के अधीन कार्यरत अपने किसी भी संबंधी का विवरण

(ख) ऋणमुक्त होने का प्रमाण-पत्र।

(ग) समस्त अचल सम्पत्ति जिसमें उसके द्वारा या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा जो उस पर आश्रित हो, धारित गृह सम्पत्ति भी सम्मिलित है का पूरा और सही विवरण परिशिष्ट- V में दिये गये निर्धारित फार्म में देना होगा।

22- स्थायीकरण :-

परिवीक्षा अवधि या बढ़ी हुयी परिवीक्षा अवधि के सफलता पूर्वक कर लेने तथा अन्य समस्त शर्तें जो इस संदर्भ में समय समय पर निर्धारित की गई हो के पूरा कर लेने के पश्चात यदि परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सत्यनिष्ठा लगातार प्रमाणित है और वह समस्त प्रकार से उपयुक्त पाया जाता है तो उसे स्थायी किया जायेगा ।

प्रतिबन्ध यह होगा कि यदि किसी अभ्यर्थी ने उसी संवर्ग में या उससे उच्च संवर्ग में कुछ समय के लिये किसी पद पर अस्थायी या स्थानापन्न रूप में सेवा की है तो ऐसी अवधि के अंश या सम्पूर्ण भाग को नियुक्ति अधिकारी परिवीक्षा अवधि में जोड़े जाने की आज्ञा दे सकता है ।

(2) कोई भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति अपनी नियुक्ति पर स्थायीकरण के विशेष आदेश की अनुपस्थिति में स्थायी नहीं माना जायेगा ।

23- वरिष्ठता

(1) उपरोक्त 5(क) के अधीन नियुक्त व्यक्ति की वरिष्ठता निम्न प्रतिबन्ध के साथ उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निर्धारित की जायेगी, यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये गये हों तो नियुक्ति आदेश में उनके नामों के क्रम अनुसार निर्धारित की जायेगी ।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति आदेश किसी ऐसी पिछली विशेष दिनांक को विर्दिष्ट करता है जिससे एक व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया गया हो, तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति का दिनांक माना जायेगा, अन्य मामलों में इसे आदेश के निर्गत होने के दिनांक से माना जायेगा ।

अग्रेतर प्रतिबन्ध है कि कोई सीधी भर्ती का अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि उसे रिक्ति प्रदान किये जाने पर बिना किन्हीं पर्याप्त कारणों के रहते अपना कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो कारणों की वैधता के संदर्भ में नियुक्ति अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा ।

(11) किसी एक चयन में परिणामों के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता :-

(क) सीधी भर्ती के द्वारा वही रहेगा जैसा कि श्रेष्ठता सूची में दर्शाया गया है तथा जिसे आयोग या कमेटी इनमें जो भी हो, बनाया हो ।

(ख) पदोन्नति के द्वारा-- उनके अपने पोषक संवर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेशों के दिनांक के क्रम में ।

स्पष्टीकरण :-

जब पोषक संवर्ग में मौलिक नियुक्ति के आदेश में किसी [illegible] दिनांक का उल्लेख हो, जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया गया हो, तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति का दिनांक मान लिया जायेगा तथा दूसरे मामलों में इसे आदेश के निर्गत होने का दिनांक माना जायेगा ।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां पोषक संवर्ग के वेतनमान भिन्न हैं तो ऐसे व्यक्ति जो पोषक संवर्ग से पदोन्नत किये जायें तथा जिनका उच्च वेतनमान हो, पोषक संवर्ग से ही पदोन्नत होने वाले निम्न वेतनमान के व्यक्तियों से ज्येष्ठ होंगे ।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी पश्चात्‌वर्ती चयन के परिणाम के आधार पर नियुक्त व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन के परिणाम के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों से कनिष्ठ होगा ।

3. (क) यदि किसी श्रोत से ऐसी नियुक्तियां कर ली गयी हों जो निर्धारित कोटे से अधिक हों तो, वरिष्ठता के मामलों में, कोटे से अधिक नियुक्त किये गये व्यक्तियों को पश्चात्तवर्ती वर्ष या वर्षों में कोटे के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध नीचे रक्खा जायेगा ।

(ख) जहां किसी स्रोत से की गई नियुक्तियां निर्धारित कोटे से कम हो जाती है तथा ऐसी बिना भरी हुयी रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्तियां पश्चात्तवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाती है तो इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति पूर्व के किसी वर्ष की वरिष्ठता नहीं पा सकेगा परन्तु उनके नियुक्ति के वर्ष की वरिष्ठता, प्राप्त करेंगे, यद्यपि उनके नाम शीर्ष पर रक्खा जायेगा तत्पश्चात अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम आवर्ती क्रम में होंगे ।

(ग) जहां किसी स्रोत से बिना भरी हुयी रिक्तियों को किसी अन्य स्रोत से भरा जा सकता हो तथा कोटे से अधिक नियुक्तियां की जाती हैं, तो इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को उस वर्ष विशेष की वरिष्ठता इस शर्त के साथ मिलेगी कि उनकी नियुक्ति कोटे के विरूद्ध की गई हो ।

(घ) उपरोक्त 5(ख) के अधीननियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही रहेगी जैसी कि वह उनके पोषक संवर्ग में थी ।

स्पष्टीकरण :-

पोषक संवर्ग में वरिष्ठ कोई व्यक्ति यदि पोषक संवर्ग में अपने से कनिष्ठ व्यक्ति से बाद में पदोन्नति पाता है तो अपनी वही ज्येष्ठता पुनः प्राप्त कर लेगा जो उसके पोषक संवर्ग में थीं ।

भाग- VIII
वेतन एवं भत्ते

24- वेतनमान :-

सेवा में पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुमन्य वेतनमान व भत्ते, चाहे वे मौलिक, स्थानापन्न या अस्थायी रूप से नियुक्त हुये हों वही होंगे जो परिषद द्वारा

समय-समय पर स्वीकृत किये गये हो । इन विनियमों के प्रवृत्त होने के समय लागू वेतनमान परिशिष्ट-। में दिये गये हैं,

प्रतिबन्ध यह है कि नियुक्ति अधिकारी उचित चयन समिति की संस्तुतियों के आधार पर किसी अभ्यर्थी को उसकी विशेष अर्हताओं और अनुभव के आधार पर अनुमोदित सीमाओं के भीतर उच्चप्रारम्भिक वेतनमान दे सकता है ।

25- दक्षतारोक पार करने का मापदण्ड

सेवा का कोई भी सदस्य तब तक दक्षता-रोध पार नहीं कर सकेगा जब तक कि यह सुनिश्चित न हो जाये कि उसने मन लगाकर दक्षतापूर्वक व अपनी सम्पूर्ण क्षमता से कार्य किया है और उसकी निष्ठा प्रमाणित है ।

भाग- IX

अन्य उपबन्ध

26- पक्षपचार

भर्ती के लिये कोई भी संस्तुति चाहे वह मौलिक या लिखित हो, केवल वे जो इन विनियमों के अन्तर्गत आवश्यक हों को छोड़कर, विचार नहीं किया जायेगा।अभ्यर्थी द्वारा अपनी अभ्यर्थिता हेतु कोई भी प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रयास उसे अनर्ह कर सकता है।

27- वेतन, भत्ते व पेंशन इत्यादि का विनियमन

इन विनियमों मेंकिये गये किन्हीं भिन्न उपबन्धों को छोड़कर सेवा के सदस्यों का वेतन, भत्ते, अवकाश वृत्ति, अवकाश व अन्य सेवा शर्तें परिषद द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये आदेशों या विनियमों द्वारा विनियन्त्रित होगा । ऐसे आदेशों या विनियमों के अभाव में वे राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में निर्गत किये गये आदेशों व नियमों, जो ऐसी समान श्रेणियों के राजकीय कर्मचारियों पर राज्यपाल महोदय की नियम निर्मात्री शक्तियों के अधीन लागू होती हों, द्वारा विनियन्त्रित होंगे ।

28- अपवाद :-

किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी इन विनियमों में :-

।1। सेवा संवर्ग में, या ऐसे पदों पर जिन्हें संवर्ग के लिये अतिरिक्त पद घोषित किया गया हों, पर नियुक्त किये गये या नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति या राज्य सरकार से बाह्य सेवा पर या किसी अन्य स्थान से प्रतिनियुक्ति पर आये व्यक्ति जब तक वे परिषद की सेवा में संविलीन न हो जायें ऐसी सेवाकी शर्तों से नियन्त्रित होंगे जो परिषद और राज्य सरकार या अन्य नियुक्ति प्राधिकारी के बीच तय हो जायें ।

।2। ऐसे व्यक्तियों की सेवा शर्तें जो परिषद में संविलीन हो चुके हैं, परिषद के विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे ।

।3। परिषद द्वारा अधिगृहीत या भविष्य में अधिगृहीत होने वाले विद्युत प्रदेय उपक्रमों केकर्मचारी जो सेवा के संवर्ग के पदों पर या संवर्ग के लिये घोषित अतिरिक्त पदों पर आसीन हों, या होने वाले हों, जब तक उन्हें परिषद

द्वारा एतद्पश्चात इस निमित्त निर्गत किये जाने वाले विनियमों से नियंत्रित होने का विकल्प न दिया जाये और वे ऐसे विनियमों से नियंत्रित होने का विकल्प न दे दें, परिषद की मानक सेवा शर्तों यदि उन्हें ऐसी शर्तों पर लिया गया है या यथास्थिति पूर्व लाइसेन्सधारी की सेवा शर्तों, यदि उन्हें इन शर्तों पर लिया गया है, से नियन्त्रित होंगे।

29. <u>छूट</u>

इन विनियमों में किसी बात से परिषद द्वारा नियुक्त तथा इन विनियमों द्वारा नियन्त्रित किसी व्यक्ति के मामले में ऐसा व्यवहार करने की परिषद की शक्ति को सीमित या न्यून करना तात्पर्यित नहीं है जैसा उचित व न्यायसंगत प्रतीत हो।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां पूर्वगामी विनियमों में से कोई विनियम किसी व्यक्ति के मामले पर लागू हो, तो उसका मामला उसमें दी गयी रीति से कम अनुकूल रीति से नहीं व्यवहारित होगा।

(2) जहां परिषद की राय में ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो, वह इन विनियमों से या किसी या कुछ विनियमों से आंशिक छूट देकर सेवा में कोई नियुक्ति कर सकते हैं तथा किसी ऐसी नियुक्ति के विषय में जो पूरी तौर पर इन विनियमों के अनुसार नहीं हुयी है यह समझा जायेगा कि परिषद ने इन विनियमों से छूट देते हुये की है।

30. <u>कठिनाइयों का निवारण</u> :-

इन विनियमों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो ऐसे मामले को परिषद के सामने रक्खा जायेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

परिषद की आज्ञा से,

रणधीर सिंह
सचिव

संख्या: 339(1)/विनियम-23/राविप-95 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर I व II), उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
(2) समस्त नियंत्रक, लेखा स्कन्ध, उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
(3) निदेशक, आन्तरिक सम्प्रेक्षा, उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
(4) सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ ।
(5) अध्यक्ष, जांच समिति, उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
(6) अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ ।
(7) मुख्य लेखाधिकारी, उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ ।
(8) समस्त अधीक्षण अभियंता, उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
(9) समस्त अधिशासी अभियंता, उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
(10) समस्त अधिकारी, परिषद सचिवालय/लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद।
(11) समस्त अनुभाग परिषद सचिवालय/लेखा स्कन्ध, उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद।
(12) बैठक सहायक, पद संख्या (5)29)95 के संदर्भ में ।

आज्ञा से,

(एस0पी0 श्रीवास्तव)
उपसचिव

द्वारा एतद्पश्चात इस निमित्त निर्गत किये जाने वाले विनियमों से नियंत्रित होने का विकल्प न दिया जाये और वे ऐसे विनियमों से नियंत्रित होने का विकल्प न दे दें, परिषद की मानक सेवा शर्तों यदि उन्हें ऐसी शर्तों पर लिया गया है या यथास्थिति पूर्व लाइसेन्सधारी की सेवा शर्तों, यदि उन्हें इन शर्तों पर लिया गया है, से नियन्त्रित होंगे ।

29. <u>छूट</u>

इन विनियमों में किसी बात से परिषद द्वारा नियुक्त तथा इन विनियमों द्वारा नियन्त्रित किसी व्यक्ति के मामले में ऐसा व्यवहार करने की परिषद की शक्ति को सीमित या न्यून करना तात्पर्यित नहीं है जैसा उचित व न्यायसंगत प्रतीत हो ।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां पूर्वगामी विनियमों में से कोई विनियम किसी व्यक्ति के मामले पर लागू हो, तो उसका मामला उसमें दी गयी रीति से कम अनुकूल रीति से नहीं व्यवहारित होगा ।

(2) जहां परिषद की राय में ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो, वह इन विनियमों से या किसी या कुछ विनियमों से आंशिक छूट देकर सेवा में कोई नियुक्ति कर सकते हैं तथा किसी ऐसी नियुक्ति के विषय में जो पूरी तौर पर इन विनियमों के अनुसार नहीं हुयी है यह समझा जायेगा कि परिषद ने इन विनियमों से छूट देते हुये की है ।

30. <u>कठिनाइयों का निवारण :-</u>

इन विनियमों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो ऐसे मामले को परिषद के सामने रक्खा जायेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा ।

परिषद की आज्ञा से,

रणधीर सिंह
सचिव

परिशिष्ट-1

(कृपया विनियम 4(2) एवं 26 देखें)

विभिन्न श्रेणी के पदों की संख्या व उनसे सम्बद्ध वेतनमान निम्न प्रकार हैं :-

क्रम सं0	पदों का नाम	स्थायी पद	अस्थायी पद	वेतनमान (जो दि0 1.4.84 को थे)
1.	कार्मिक अधिकारी (इसमें पूर्व नामित औद्योगिक सम्बन्ध अधिकारी का पद भी सम्मिलित है)	26	6	रू02600-75(4)-2900-100(4)-3300-ईबी-100(2)-3500-125(4)-4000
2.	वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (इसमें पूर्व नामित वरिष्ठ औद्योगिक सम्बन्ध अधिकारी का पद भी सम्मिलित है)	8	8	रू03400-100-3500-125(8)-4500-ईबी-125(2)-4750
3.	वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (चयन श्रेणी)	-	-	रू04250-125(6)-5000-150(4)-5600
4.	मुख्य कार्मिक अधिकारी	2	-	रू05000-150(6)-5900-200(2)-6300
5.	निदेशक (कार्मिक)	-	1	रू0 6700-200(4)-7500

परिशिष्ट-11

: कृपया विनियम 12 देखें :

1. किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये योग्य घोषित किये जाने हेतु उसे शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिये तथा ऐसे किसी भी शारीरिक दोष से मुक्त हो जो उसकी नियुक्ति के कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निस्पादन में बाधक हो।

2. अभ्यर्थी की आयु, लम्बाई व सीने की परिधि के पारस्परिक अनुपात के सम्बन्ध में मेडिकल बोर्ड स्वयं अभ्यर्थियों की परीक्षा हेतु मार्गदर्शन के लिये ऐसे अनुपातिक अंक प्रयोग में ला सकता है जिन्हें वह सबसे अधिक उपयुक्त समझे।

3. अभ्यर्थी की लम्बाई निम्नवत जाँची जायेगी। वह अपने जूते उतार देगा और दोनों पैर जोड़ कर प्रामाणिक नाप के समक्ष एड़ियों पर जोर देकर ना कि पंजों या पैरों के बाहरी हिस्सों पर जोड़ देकर खड़ा होगा। वह शरीर को बिना कड़े हुये सीधा खड़ा होगा और उसकी ऐड़ियाँ, पिंडलियाँ, नितम्ब व कंधे माप दण्ड को छूते हुये होंगे, उसकी ठोड़ी झुकी रहेगी जिससे सिर का शीर्षस्थ भाग क्षैतिज दण्ड की नीचे की सतह के बराबर आ जाय। लम्बाई मीटर व सेन्टी-मीटर्स में मापी जायेगी। हालांकि लम्बाई की कोई भी निश्चित सीमा नहीं रक्खी गई है।

4. अभ्यर्थी के सीने का माप निम्न प्रकार लिया जायेगा :-
उसे दोनों पैर जोड़ कर सीधा खड़ा किया जायेगा तथा उसे अपनी भुजायें सिर से ऊपर उठाना होगा। फीता सीने के चारों ओर इस प्रकार रक्खा जायेगा कि उसका ऊपरी किनारा पीछे की ओर कंधे की चपटी हड्डी के न्यून कोण को छुये तथा उसका निचला किनारा आगे की ओर वक्ष घुन्डियों के ऊपरी भाग को छुये तब भुजायें इस प्रकार नीचे की जायेगी कि अगल बगल ढीली लटकती रहें। इस बात की सावधानी रक्खी जायेगी कि कंधे न ऊपर की ओर उठें और न पीछे की ओर हटें ताकि फीता अपने स्थान से न हटे। तब अभ्यर्थी से कई बार सांस लेने को कहा जायेगा और वक्ष का अधिकतम प्रसार सावधानीपूर्वक मापा जायेगा तथा सीने का न्यूनतम व अधिकतम प्रसार से0 मी0 में लिखा जायेगा जैसे :- 84-89, 85-92. ।

माप लिखते समय आधे से. मी. से कम अंश को नहीं लिखा जायेगा।

5. अभ्यर्थी का भार भी लिखा जायेगा जिसे किलाग्राम में लिखा जायेगा। आधे किलोग्राम से कम भार को नहीं लिखा जायेगा।

6. (क) दृष्टि की तीव्रता को जाँचने के लिये दो परीक्षण हैं। एक दूर की दृष्टि का और दूसरा पास की दृष्टि का। दूर की दृष्टि की जांच के लिये बिना चश्में के 6 मीटर की दूरी स्नेलेन्स टेस्ट टाइप का प्रयोग किया जायेगा तथा पास की दृष्टि के लिये बिना चश्में के अभ्यर्थी द्वारा चुनी गई कोई भी दूरी प्रयोग में लाई जायेगी। किसी भी अभ्यर्थी के चयन के लिये मार्गदर्शन हेतु दृष्टि की न्यूनतम तीव्रता का स्तर निम्नवत होगा :-

स्तर – I

दाहिना नेत्र	बांया नेत्र
दूर की दृष्टि	वी – 6/6
पास की दृष्टि	पढ़ना – 0.6

स्तर–II

अच्छा नेत्र	खराब नेत्र
दूर की दृष्टि–वी–6/6	वी–बिना चश्में के 6/24 से कम नहीं।
पास की दृष्टि–पढ़ना 0/6	पढ़ना – I

स्तर – III

अच्छा नेत्र	खराब नेत्र
दूर दृष्टि वी–बिना चश्में के 6/24 से कम नहीं तथा चश्में से ठीक करने के बाद 6/6 से कम नहीं।	वी–बिना चश्में के 6/24 से कम नहीं, चश्में से ठीक करने के पश्चात 6/12 से कम नहीं।
पास की दृष्टि–पढ़ना 0.8	पढ़ना –I

।ख। प्रत्येक नेत्र की दृष्टि का एक क्षेत्र होना चाहिये जो कि हस्त संचालन द्वारा परीक्षण किया गया होगा।

।ग। अभ्यर्थी के नेत्रों का टेढ़ापन या नेत्रों व पलकों में या किसी एक नेत्र में किसी रोग के लक्षण जो दोबारा होने पर बढ़ सकता है के कारण अभ्यर्थी को नामंजूर कर दिया जायेगा।

।घ। प्रत्येक नेत्र की अलग–अलग जांच की जायेगी तथा परीक्षण के समय पलकों को खुला रक्खा जायेगा।

।ङ। मुख्य रंगों को न पहचान पाना अभ्यर्थी को अस्वीकृति का कारण नहीं माना जायेगा परन्तु यह तथ्य कार्यवाही में लिखा जायेगा और इसके सम्बन्ध में अभ्यर्थी को सूचना दी जायेगी।

।च। नियुक्ति हेतु समस्त अभ्यर्थियों की दृष्टि की तेजी की मात्रा कार्यवाही में निम्न प्रकार से नोट की जायेगी:-

वी. आर. .... चश्में के साथ ....

पढ़ना .... चश्में के साथ ....

वी. एल. .... चश्में के साथ ....

पढ़ना ....

16। असाधारण रूप से गंभीर मामलों में नेत्र विशेषज्ञ की राय ली जानी चाहिये।

17। मूत्र।परीक्षक की उपस्थिति में लिया जायेगा। का परीक्षण किया जायेगा तथा परिणाम लिखा जायेगा।

18। निम्नलिखित अतिरिक्त बातों को देखना चाहिये :-

अभ्यर्थी के दोनों कानों की श्रवण शक्ति अच्छी है तथा कान में किसी प्रकार की बीमारी का कोई चिन्ह नहीं है। कोई भी अभ्यर्थी 3 मीटर की दूरी से परीक्षक की ओर पीठ करके बरबस की गई फुसफुसाहट सुनने में सफल होगा, ठीक समझा जायेगा। प्रत्येक कान की अलग-अलग जांच की जायेगी जब कि जांच के समय दूसरे कान को तेल के भीगे फाहे से बन्द कर दिया जायेगा।

यदि कोई दोष पाया जाये तो इसे प्रमाण-पत्र में लिखा जाना चाहिये तथा चिकित्सीय परीक्षक को अपना विचार भी व्यक्त करना चाहिये कि वह खराबी अभ्यर्थी द्वारा अपने वांछनीय कर्तव्य पालन में बाधा तो नहीं डालेगा। यदि शल्य चिकित्सा द्वारा दशा में सुधार हो सकता है तो उसका भी उल्लेख कर देना चाहिये।

16। असाधारण रूप से गंभीर मामलों में नेत्र विशेषज्ञ की राय ली जानी चाहिये।

17। मूत्र।परीक्षक की उपस्थिति में लिया जायेगा। का परीक्षण किया जायेगा तथा परिणाम लिखा जायेगा।

18। निम्नलिखित अतिरिक्त बातों को देखना चाहिये :-

अभ्यर्थी के दोनों कानों की श्रवण शक्ति अच्छी है तथा कान में किसी प्रकार की बीमारी का कोई चिन्ह नहीं है। कोई भी अभ्यर्थी 3 मीटर की दूरी से परीक्षक की ओर पीठ करके बरबस की गई फुसफुसाहट सुनने में सफल होगा, ठीक समझा जायेगा। प्रत्येक कान की अलग-अलग जांच की जायेगी जब कि जांच के समय दूसरे कान को तेल के भीगे फाहे से बन्द कर दिया जायेगा।

यदि कोई दोष पाया जाये तो इसे प्रमाण-पत्र में लिखा जाना चाहिये तथा चिकित्सीय परीक्षक को अपना विचार भी व्यक्त करना चाहिये कि वह खराबी अभ्यर्थी द्वारा अपने वांछनीय कर्तव्य पालन में बाधा तो नहीं डालेगा। यदि शल्य चिकित्सा द्वारा दशा में सुधार हो सकता है तो उसका भी उल्लेख कर देना चाहिये।

असाधारण रूप से गंभीर मामलों में नेत्र विशेषज्ञ की राय ली जानी चाहिये।

स्वास्थ्य सम्बन्धी घोषणा का प्रपत्र जो मेडिकल बोर्ड द्वारा परीक्षा किये गये अभ्यर्थी द्वारा भरा जायेगा।

मेडिकल बोर्ड द्वारा किया गया चिकित्सीय परीक्षण

नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी का कथन ....

अभ्यर्थी का निम्न वांछित कथन उसके मेडिकल बोर्ड द्वारा परीक्षण के पूर्व अवश्य दिया जाना चाहिये तथा बोर्ड की उपस्थिति में उसके साथ संलग्न घोषणा पर हस्ताक्षर करना चाहिये।

1. अपना पूरा नाम लिखें (बड़े अक्षरों में) ....
2. जन्म स्थान ....
3. आयु व जन्मतिथि ....
4. परिवार सम्बन्धी विवरण ....

	पिता की मृत्यु के समय आयु व मृत्यु का कारण	जोवित भाइयों की संख्या उनकी आयु व स्वास्थ्य की दशा	मृत भाइयों की संख्या, मृत्यु के समय उनकी आयु व मृत्यु का कारण	माँ की आयु यदि जीवित हों तथा स्वास्थ्य की दशा	माँ की मृत्यु के समय आयु व मृत्यु का कारण	जीवित बहनों की संख्या, उनकी आयु व स्वास्थ्य	मृत बहनों की संख्या मृत्यु के समय उनकी आयु व मृत्यु का कारण
	2	3	4	5	6	7	8

5. क्या आप का कोई निकट सम्बन्धी (टी. बी., क्षय, कण्ठमाला, कैंसर, दमा, दौरा, मिरगी, पागलपन या अन्य कोई स्नायु रोग) से पीड़ित है? ....
6. क्या आप कभी विदेश में रहे हैं? यदि हाँ तो कहाँ और कितने समय के लिये? ....
7. क्या कभी नौ सेना, वायु सेना, थल सेना या किसी अन्य सरकारी विभाग में सेवारत रहे हैं? यदि हाँ तो पद एवं अवधि इंगित करें। ....

8. क्या आप को कभी ।क। जीवन बीमा या/अथवा ।ख। या राज्य के किसी सैनिक या असैनिक सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच की गई है? यदि हाँ तो विवरण लिखें और परिणाम क्या रहा? ....

9. ।क। चेचक, सविरामी, या अन्य प्रकार का ज्वर, ग्रन्थियों का बढ़ना या पकना, थूक से खून आना, दमा फेफड़ों की सूजन, हृदय रोग, मूर्छा के दौरे पागलपन, कान बहना या कान के अन्य रोग गर्मी, सूजाक का रोग हुआ है/था। ....

।ख। क्या कोई अन्य रोग हुआ है? या चोट पहुँची है जिसके कारण शैयाधीन होना या औषधियाँ या चिकित्सा आवश्यक हुयी हो, या ....

।ग। कोई शल्य चिकित्सा करायी है या ....

।घ। युद्ध के दौरान युद्ध क्षेत्र सेवा में रहने पर किसी बीमारी से पीड़ित रहे हैं या कोई चोट या घाव लगा है? ....

10. क्या आप को रपचर है? ....

11. क्या आप को शिरावृष्टि या विवर्धित शिरा या बवासीर है? ....

12. क्या आप के दोनों नेत्रों की दृष्टि अच्छी है? क्या आप चश्मा पहनते हैं? ।अभ्यर्थी जो चश्मा पहनते हैं उनसे निवेदन है कि वे अपने चश्मे के नम्बर का पर्चा साथ लायें। ....

13. क्या आप के प्रत्येक कान की श्रवण शक्ति अच्छी है? ....

14. क्या आप के जन्मजात या जन्मोत्तर अपवृद्धि दोष या विकृति है? ....

15. पिछली बार आप को टीके कब लगे थे? ....

16. यदि आप के स्वास्थ्य सम्बन्धी कोई और बातें हैं जो उपरोक्त प्रश्नों में नहीं आते वे मेडिकल बोर्ड को बतायी जानी चाहिये। ....

17. क्या अभ्यर्थी को हैमोरहाइड, बैरिकोसील या नसों सम्बन्धी कोई अन्य दोष है? ....

18. क्या अंगों में किसी रोग/किसी रोग के चिन्ह है? ....

19. क्या पाचन अंगों में किसी रोग के चिन्ह पाये गये हैं? क्या दाँत गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त हैं या अन्यथा किसी रूप में दोषपूर्ण है? ....

20. क्या अभ्यर्थी रपचर से मुक्त है? ....

21. क्या जननेन्द्रियों सम्बन्धी किसी रोग का लक्षण है? ....

22. क्या मूत्र (1) एलब्लूमेन (2) शर्करा से रहित है? क्या मूत्र अन्यथा सामान्य है? ....

23. क्या अभ्यर्थी के स्वास्थ्य में ऐसी कोई बात है जो उसके पद के कर्तव्यों को सुचारू रूप से पालन करने में बाधक हैं? ....

24. क्या आप अभ्यर्थी को सभी प्रकार से दक्षतापूर्वक व अनवरत रूप से उस पद के कर्तव्यों का पालन करने में समर्थ समझते हैं? ....

दिनांक : ....

मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष का हस्ताक्षर

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा

(मेडिकल बोर्ड के सामने हस्ताक्षर करने होगें)

मैं घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त उत्तर मेरे पूर्ण विश्वास के अनुसार सत्य व सही है।

मैं मेडिकल बोर्ड को स्वेच्छापूर्वक अपने संज्ञान में रहने वाली समस्त दशाओं को जो मेरे स्वास्थ्य व स्वस्थता के लिये उस पद जिसके लिए मैं अभ्यर्थी हूँ, बता रहा हूँ। यह तथ्य मेरी पूर्ण जानकारी में है, कि जानबूझ कर किसी सूचना को छिपाने से मुझे इस नियुक्ति के न मिलने का जोखिम उठाना होगा और इसे पाने की दशा में इसे खो भी सकता हूँ।

की उपस्थिति में हस्ताक्षरित ....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक : ....

....

मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष

[विनियम 13 के नीचे लिखी टिप्पणी देखें]

सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा व साक्षात्कार हेतु पाठ्यक्रम

कार्मिक अधिकारी जिसे पूर्व में औद्योगिक संबंध अधिकारी पदनाम दिया गया था, के पद के लिये लिखित परीक्षा उचित समिति द्वारा आयोजित की जायेगी, जैसा कि विनियम 13 में विहित है।

2. परीक्षा और साक्षात्कार का दिनांक, समय और स्थान की सूचना ऐसे अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय रहते दी जायेगी।

3. लिखित परीक्षा में दो प्रश्न-पत्र होगें जो निम्न प्रकार होगें :-

		अधिकतम अंक
[1]	$1\frac{1}{2}$ घंटे की अवधि का एक प्रश्न पत्र जिसमें अभ्यर्थी को रिक्त स्थानों की पूर्ति या सही उत्तरों को दर्शाना होगा जो कार्मिक प्रबंध, औद्योगिक व श्रम नियमों औद्योगिक संबंध व श्रम कल्याण से संबंधित विषयों के प्रश्न होगें।	- 100
[2]	2 घंटे की अवधि का एक प्रश्नपत्र जिसमें अभ्यर्थियों को दो संक्षिप्त निबन्ध लिखने होगें जो क्रमशः हिन्दी और अंग्रेजी में प्रत्येक 500 शब्दों से अधिक नहीं होगें, इन निबन्धों के विषय कार्मिक प्रबन्ध, औद्योगिक नियम तथा औद्योगिक संबंध व श्रम कल्याण इत्यादि से सम्बन्धित होगें।	- 100

4[1] ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत या उससे अधिक औसत अंक प्राप्त किये हों उस परीक्षा में उत्तीर्ण समझे जायेगे।
साक्षात्कार में अभ्यर्थी की उपयुक्तता निम्न के आधार पर आंकलित की जायेगी।

[क] उसकी शैक्षिक एवं व्यावसायिक उपलब्धियां .-
[ख] उसके व्यक्तित्व, प्रज्ञा व पद हेतु उपयुक्तता

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर	टिप्पणी
1.	क्या उपर्युक्त घोषणा पर अभ्यर्थी ने हस्ताक्षर कर दिये हैं?		
2.	क्या किसी जन्मजात या जन्मोत्तर अर्जित अपवृद्धि के कोई प्रमाण हैं?		
3.	क्या वह चोट के निशानों से मुक्त है और वह अपने अंगों का पूरा उपयोग करता है?		
4.	क्या किसी निर्धारित काहेक्टिक या डायाथिटिक संरचना की स्थिति है?		
5.	क्या पिछले सात वर्षों में अभ्यर्थी को सन्तोषजनक रूप से टीका लगाया गया है?		
6.	क्या स्नायुविक प्रणाली सम्बन्धी रोग के कोई लक्षण हैं?		
7.	क्या श्रवण शक्ति अच्छी है ?		
8.	क्या दृष्टि अच्छी है?		
9.	क्या शब्दोच्चार के सम्बन्ध में वाक शक्ति अच्छी है?		
10.	क्या हड्डी, जोड़ व उससे जुड़े हुए भागों में कोई बीमारी के चिन्ह हैं?		
11.	क्या त्वचा सम्बन्धी कोई महत्वपूर्ण दोष है?		
12.	क्या हृदय व धमनियाँ स्वस्थ हैं?		

परिशिष्ट- IV

(देखें विनियम 18(1)(ग))

घोषणा का प्रपत्र

"क"

(केवल उनके लिये जिनके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है)

मैं एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरे पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है। इसके पश्चात यदि मैं किसी अचल सम्पत्ति को अर्जित करता हूँ तो वह तथ्य अचल संपत्ति अर्जित करने की जानकारी मिलने के एक माह के भीतर घोषित कर दूँगा।

हस्ताक्षर ....
पदनाम ....
दिनांक ....

"ख"

(उनके लिये जो अचल सम्पत्ति के स्वामी हैं)

मैं एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं निम्न अचल सम्पत्ति का स्वामी हूँ।

भूमि सम्पदा

जहाँ भूमि अर्जित की गई हो			क्षेत्र एकड़ में	अर्जित या पैतृक यदि अर्जित की गई हो तो उस का दिनांक	वार्षिक राजस्व	अनुमानित मूल्य	टिप्पणी
...ा	तहसील	ग्राम					
	2	3	4	5	6	7	8

भवन सम्पदा

स्थान जहाँ भवन हो ग्राम कस्बा शहर	जिला	भवनों की संख्या	अर्जित या पैतृक (यदि अर्जित है तो उसका दिनांक	क्या आवास के लिये प्रयोग होता है या किराये पर उठा है	वार्षिक किराया	अनुमानित मूल्य	टिप्पणी
2	3	4	5	6	7	8	9

यदि भविष्य में कोई अन्य अचल सम्पत्ति अर्जित करता हूँ तो इस तथ्य को उपर्युक्त प्रपत्र में, सम्पत्ति अर्जित करने के दिनांक की जानकारी पाने के दिनांक से एक मास के भीतर घोषित कर दूँगा।

हस्ताक्षर ....
पद ....
दिनांक ....

टिप्पणी : अचल सम्पत्ति में भवन या भूमि सम्पदा सम्मिलित है जो बंधक या पट्टे के रूप में ली गई है। संपत्ति जो किसी अधिकारी या उसकी पत्नी या उसकी ओर से उसके परिवार के किसी सदस्य जो उसके साथ संयुक्त हो या साथ रहता हो या किसी प्रकार उस पर आश्रित हो, द्वारा धारित या प्रबन्धित हो तो, इस घोषणा के प्रयोजनार्थ अधिकारी द्वारा ही धारित या प्रबन्धित की गई समझी जायेगी।

परिशिष्ट – V

।देखें विनियम 18।।।।घ।।

मैं एतद् द्वारा सत्यनिष्ठ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य विधुत परिषद के अधीन अपनी सेवा अवधि में मैं परिषद को सेवा में स्वयं को सदैव निष्ठा व श्रद्धापूर्वक लगाये रखूँगा और उसके कार्यकलापों को पूर्ण रूप से गोपनीयता बनाये रखूँगा और अपने कर्तव्य पालन के दौरान या अन्य रूप में जानकारी में आयी किसी भी सूचना का रहस्योद्घाटन नहीं करूँगा।

हस्ताक्षर ....

पद ....

दिनांक ....

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद
शक्ति भवन, 14- अशोक मार्ग, लखनऊ

सं0- 385-विनियम-23/राविप-98-9-विनियम/89 दिनांक: 23-9- 1998

विज्ञप्ति
विविध
=======

इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट 1948 की धारा 79 (सी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद एतद्द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद कार्मिक (अधिकारी) सेवा विनियमावली 1995 में संशोधन करते हुये निम्न विनियम बनाते हैं।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद कार्मिक (अधिकारी) सेवा
(प्रथम संशोधन) विनियम - 1998

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :-

(1) ये विनियम उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद कार्मिक (अधिकारी) सेवा (प्रथम संशोधन)-विनियम 1998 कहलायेंगे।

(2) ये तत्काल प्रवृत्त होंगे।

2. विनियम का संशोधन :-

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, कार्मिक (अधिकारी) सेवा विनियम-1995 में नीचे [illegible] में दिये गये विनियमों के स्थान पर स्तम्भ-1 में दिये गये विनियम रख दिये जायेंगे।

स्तम्भ - 1	स्तम्भ - 11
भाग-5 का [illegible] उप विनियम-15	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित भाग-5 का उप विनियम -15
विनियम 5 (घ) के प्रतिबन्ध के अन्तर्गत निदेशक (कार्मिक) के पद पर सीधी भर्ती केवल साक्षात्कार के माध्यम से की जायेगी। [अभ्य]र्थियों के साक्षात्कार हेतु कमेटी निम्न से गठित की जायेगी :-	विनियम 5 (घ) के प्रतिबन्ध के अन्तर्गत निदेशक (कार्मिक) के पद पर सीधी भर्ती केवल साक्षात्कार के माध्यम से की जायेगी। अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हेतु कमेटी निम्न से गठित की जायेगी :-
(1) अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद-सभापति	(1) अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद-सभापति
(11) सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन या उसके द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का कोई अन्य अधिकारी - सदस्य	(11) सचिव (ऊर्जा) उ0प्र0 शासन या उसके द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का कोई अन्य अधिकारी - सदस्य
(111) सचिव (वित्त), उ0प्र0 शासन या उसके द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का कोई अन्य अधिकारी - सदस्य	(111) सचिव (सार्वजनिक उद्यम विभाग), उ0प्र0 शासन या उसके द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का कोई अन्य अधिकारी - सदस्य
(1V) वरिष्ठतम पूर्णकालिक परिषद का सदस्य (अभियन्त्रण) - सदस्य	(1V) वरिष्ठतम पूर्णकालिक परिषद का सदस्य (अभियन्त्रण) - सदस्य

-----2

I	II
(v) अध्यक्ष द्वारा नामित परिषद का कोई अन्य सदस्य – सदस्य	(v) अध्यक्ष द्वारा नामित परिषद का कोई अन्य सदस्य – सदस्य
(vi) औद्योगिक संबंध के क्षेत्र से दो विशेषज्ञ जो किसी ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालय या भारतीय प्रबंध संस्थान से हो– सदस्य	(vi) औद्योगिक संबंध के क्षेत्र से दो विशेषज्ञ जो किसी ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालय या भारतीय प्रबंध संस्थान से हो – सदस्य
उपरोक्त पदों के चयन हेतु बैठक में गणपूर्ति (कोरम) निम्न प्रकार होगी:–	उपरोक्त पदों के चयन हेतु बैठक में गणपूर्ति (कोरम) निम्न प्रकार होगी :–
(1) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद	(1) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद
(2) सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन या उसके द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का कोई अन्य अधिकारी ।	(2) सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन या उसके द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का कोई अन्य अधिकारी ।
(3) सचिव (वित्त) उ0प्र0 शासन या उसके द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का कोई अन्य अधिकारी	(3) सचिव (सार्वजनिक उद्यम विभाग), उ0प्र0 शासन या उसके द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का कोई अन्य अधिकारी
(4) परिषद का वरिष्ठतम पूर्णकालिक सदस्य (अभिमन्त्रण)	(4) परिषद का वरिष्ठतम पूर्णकालिक सदस्य (अभिमन्त्रण)
(5) अध्यक्ष द्वारा नामित परिषद का कोई अन्य सदस्य ।	(5) अध्यक्ष द्वारा नामित परिषद का कोई अन्य सदस्य ।

परिषद की आज्ञा से,

(हस्ताक्षर) .../6/98

(पी0 आर0 सिंह)
सचिव

सं0–389(1)/विनियम–23/रा वि प–98 तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त मुख्य अभियंता (स्तर । व ।।)/महा प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
2– समस्त नियंत्रक, लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
3– निदेशक, आन्तरिक लेखा परीक्षा, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
4– सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
5– सचिव (वित्त) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

6-- सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
7-- सभापति, विद्युत सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ।
8-- सभापति, जाँच समिति, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ।
9-- मुख्य लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ।
10-- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ।
11-- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ।
12-- समस्त अधिकारी, परिषद सचिवालय/लेखा स्कन्ध, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ।
13-- समस्त अनुभाग, परिषद सचिवालय, लेखा स्कन्ध, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ।
14-- अनु सचिव ।का. वि. नी.।/उप सचिव ।का. वि. नी.।
15-- बैठक सहायक को दिनांक 3.2.98 को सम्पन्न परिषदीय बैठक के मद संख्या- दो ।3।/ 1998 के सन्दर्भ में ।

आज्ञा से,

।एस0पी0 सक्सेना।
अनु सचिव